[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0. 38/2018- सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 अप्रैल, 2018

सा.का.नि.......(अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1), के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0. 24/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 जिसे सा.का.नि. संख्या 122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 13ध और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
"13ध.	8517 70 10	सेलुलर मोबाइल फोन के प्रिंटिड सर्किट बोर्ड एसेंबली से भिन्न सभी वस्तुएं"

[फा. सं0.354/20/2017-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना सं0. 24/2005-सीमा शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2005 को सा.का.नि. संख्या 122(अ), दिनांक 1 मार्च, 2005 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड(i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं0. 58/2017-सीमा शुल्क,दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. 799 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत संशोधन किया गया था ।